मुन्तकिल प्रकरण सं0 06/2021 (RCMS 2021/15) 1.गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह 2. गुरमीत कौर पत्नि बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. करनैल सिंह पुत्र जीवन सिंह 2. भुच्चर सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एसडीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 3. स्टेट – जरिये तहसीलदार सादुलशहर**

22.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जरनैल सिंह टुरना एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसील सादुलशहर पटवार हल्का ममड़खेड़ा वाके चक 3 एसडीपी के मुरब्बा नम्बर 28 व मुरब्बा नम्बर 29 में कुल 23 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से कृषि भूमि है जिसके लिए गैरमुमकिन रास्ता चक 3 एसडीपी के मुरब्बर नम्बर 45 के किला न. 6, 15, 16, 25 में दर्ज है व उक्त मुरब्बों में गैर मुमकिन रास्ता जिसें पेड़ लगे हुए है जिसके साथ चिपता हुआ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में 251 ए आरटीए का प्रकरण संख्या 47/2020 अनवान् करनैल सिंह बनाम गुरप्रीत सिंह का विचाराधीन है।

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नजरसानी राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत कर रखी है व राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर मं अनवानी करनैल सिंह बनाम गुरप्रीत सिंह वगै. प्रस्तुत कर रखी है जिसका प्रकरण संख्या 6588/2018 है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र कानूनन चल नहीं सकता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से विधिविरूद्ध तरीके से उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से प्रार्थीगण को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एलानिया कह रहे है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का फैसला हमारे हक में ही होगा। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के व्यवहार से साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निर्णय करेगें। इसलिए उक्त अनवनी प्रकरण को श्रीगंगानगर के सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना न होने के कारण पेश किया है। उक्त प्रकरण को यदि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है।

मैनें दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवेदन का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 047/2020 अनवानी करनैल सिंह बनाम गुरप्रीत सिंह अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है चूंकि अप्रार्थी के अभिभाषक को भी उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल करने में कोई आपत्ति नहीं है और प्रार्थीगण को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल किये जाते है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर अपने स्तर से पक्षकारों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत् निस्तारण

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

करने की कार्यवाही करें। पक्षकारों को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वे **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 16.03.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।** उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भी यह आदेश दिया जाता है कि उक्त मूल प्रकरण संख्या 047/2020 अनवानी करनैल सिंह बनाम गुरप्रीत सिंह अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में शीघ्र मुंतकिल करने की कार्यवाही करें। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर/सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर